संख्या-11/2026/130ई-2/तेरह-2026-2023357

प्रेषक

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 18 फरवरी, 2026

विषय:-पीलीभीत स्थित भरा पचपेड़ा इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में नवस्थापित यीस्ट उत्पादक इकाई, ए.बी. मौरी इण्डिया प्रा.लि. की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-30/दस-शीरा(447)/ए.बी. मौरी/यीस्ट/पीलीभीत, दिनांक 11-02-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-02-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शीरा नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.16 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में पीलीभीत स्थित भरा पचपेड़ा इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में नवस्थापित यीस्ट उत्पादन इकाई, ए.बी. मौरी इण्डिया प्रा.लि. की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता कुल 6,00,000.00 (छः लाख मात्र) कुंतल निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा किसी भी दशा में चीनी मिल एवं खाण्डसारी शीरा को मिश्रित रूप से भण्डारित नहीं किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा शीरा संचय टैंकों का गेज चार्ट नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग आदि द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जीने वाली शीरा नीति में किये गये प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इकाई पर कोई अद्यतन बकाया न हो।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in